विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची–2013
फरवरी–2013
शिक्षा विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)01/09	पदस्थापन काल का वार्षिक वेतन वृद्धि का बकाया राशि का भुगतान प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गोड्डा पश्चिमी द्वारा नहीं किये जाने के संबंध मे श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह दुमका का परिवाद ।	08.02.2013	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी को उनके सभी वैद्यानिक देय का भुगतान कर दिया गया। अतः माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के पश्चात परिवादी के परिवाद का निराकरण के बाद परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)26/12	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खिजूरिया प्रखण्ड फतेहपुर, जिला जामताड़ा में मध्याहन भोजन योजना बंद होने की गुलजार अंसारी जामताड़ा का शिकायत ।	08.02.2013	जामताड़ा जिला शिक्षा अधीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, इसी बीच उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खिजूरिया के छात्र/छात्राओं की ओर से आवेदन देकर यह बताया गया कि मध्याहन भेजन योजना पुनः प्रारंभ किया जा चूका है। इस प्रकार विद्यार्थियों के समस्या का समाधान के बाद माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)46/11	गौरी शंकर प्रसाद सेवानिवृत शिक्षक का बकाया सवारी भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	19.02.2013	जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को उनके बकाया सवारी भत्ता का भुगतान नियमानुसार कर दिया गया है , तत्पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
4.	01/लोक(शिक्षा)03/12	उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय, पटवाबाद, मधुपुर, देवघर में मध्याहन भोजन में गड़बड़ी के संबंध में श्री सरफराज आलम मधुपुर देवघर का शिकायत ।	12.02.2013	लम्बी सुनवाई तथा उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार मध्याहन भोजन के लिए संबंधित विद्यालय को आवंटित 20 क्वींटल चावल में 10 क्वींटल का ही आपूर्ति विद्यालय को कराया गया । जांच के बाद मुखिया, उपमुखिया, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि ससमय बाकी 10 क्वींटल चावल की आपूर्ति कर दिया जाएगा । अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)27/12	अंचलाधिकारी गिरिडीह द्वारा रसीद काटने का आदेश नहीं देने के संबंध में श्री तुलसी साव का शिकायत ।	21.02.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी का नया जमाबन्दी के अनुसार रसीद कटना सुनिश्चित हो गया है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2.	02/लोक(राजस्व) 25/12	स्त्क्ष् चाईबासा द्वारा आवास का लीज नवीकरण नहीं करने के संबंध में श्री समीर चटर्जी चाईबासा का परिवाद ।	21.02.2013	उपायुक्त कोलहान प्रमंडल चाईबासा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पु0)233/05	स्व0 भगवती सिंह, भू0 पू0 पुलिस सब इन्सपेक्टर चतरा जिला पुलिस बल का पेंशन, ग्रच्यूटी, ग्रुप बीमा का भुगतान के संबधं मे मोसमात चम्पा देवी चतरा का शिकायत ।	04.02.2013	पुलिस अधीक्षक चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादीनी के स्व0 पति के पेंशन के आदेश महालेखाकार राँची द्वारा निर्गत किया जा चूका है तथा सेवान्त लाभ के सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण होने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)03/12	आराधना श्रीवास्तव हत्याकाण्ड का ब्ठप् जांच कराने के संबंध में श्री अमित कुमार श्रीवास्तव गिरीडिह का शिकायत ।	4.02.2013	परिवादी को आरोपीयों के रिहाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपिल करने का अधिकार है अतः परिवादी को इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की	अंतिम आदेश

सं0			तिथि	
1.	01 / लोक (ग्रा.वि.वि) 03 / 12	देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर प्रखण्ड के मनरेगा योजना सं. 22 / 2010–11में राशि गबन के संबंध में राजेश कुमार रवानी देवघर से प्राप्त शिकायत ।	04.02.2013	उपायुक्त देवघर से प्राप्त रिपोर्ट तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवाद के संदर्भ में कूप का निमार्ण कार्य पुर्ण कर लिया गया है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.) 31 / 12	श्री ब्रजकिशोर यादव साकिन निमाडीह गिरिडीह द्वारा तालाब को नष्ट होने से बचाने के संबंध में दर्ज परिवाद ।	12.02.2013	यह परिवाद दो लोगों का आपसी विवाद है जो कई न्यायालयों में चल रहा है अतः यह परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त के द्वारा बन्द कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(ग्रा.वि.वि.) 15 / 12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथरगामा द्वारा ग्राम लखनपहाड़ी के सिंचाई तालाब 274 की जमीन का अधिग्रहण कर पंचायत भवन बनाने के विरूद्ध श्री भैरवनाथ झा से प्राप्त शिकायत ।	08.02.2013	शिकायत के संबंध में उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए स्थल का चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया तथा इस पर किसी भी ग्रामीण द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।

उत्पाद विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01 / लोक(उत्पाद)01 / 12	उत्पाद एवं मद्यनि ोद विभाग में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी श्री सदन प्रसाद द्वारा बिना पैसे लिए काम नहीं करने के संबंध में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह का परिवाद ।	**08.02.2013**	उत्पाद आयुक्त झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत पता तथा हस्ताक्षर कर परिवाद दाखिल करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

परिवहन विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(परिवहन)150 / 05	श्री त्रिवेणी प्रसाद चौधरी, सेवानिवृत यात्री लिपिक गोड्डा प्रतिष्ठान दुमका प्रमंडल दुमका के सी.पी.एफ. ग्रुप बीमा ग्रेच्युटि एवं अन्य सेवा निवृत लाभ के भुगतान के संबंध में ।	04.02.2013	परिवहन आयुक्त झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से प्राप्त कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक (श्रम नि.) 121/05	श्री धीरज प्रसाद लिपिक श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने गरीब बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झासा देकर रूप्या ठगी और धेखाधड़ी कर निलंबन समाप्त कराने एवं इन्हें बचाने वाले पदाधिकारीयों के विरूद्ध शिकायत के संबंध में ।	23.02.2013	सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी लिपिक श्री धीरज प्रसाद के विरूद्ध विभाग द्वारा दो विभागीय कार्रवाई की गई जिसमें एक का निष्पादन हो चूका है तथा दुसरा लम्बित है। अतः उक्त परिवाद में अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नही है ।

उद्योग विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(उद्योग)06/11	स्व0 अब्दुल मजीद, भूतपूर्व वरीय अनुदेशक (सेरीकल्चर) टी.सी.पी.सी. जगनाथपुर, सिंहभूम चाईबासा के पारिवारिक पेंशन उपादान के संबंध में ।	26.02.2013	सुनवाई के दौरान श्री अभिषेक श्रीवास्तव, अवर सचिव, उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार ने बताया कि पर्याप्त पत्राचार के बाद भी स्व0 अब्दुल मजीद, भूतपूर्व वरीय अनुदेशक के परिवार के कोई भी सदस्य उनके वैद्य पावनाओं को प्राप्त करने के लिए सहायक उद्योग निदेशक के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ । इससे पता चलता है कि परिवादी उनके वैद्य वंशज नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा.)12/11	श्री बिरेन्द्र कुमार को सेवानिवृति के पश्चात मिलने वाले लाभों से वंचित रहने के संबंध में ।	04.02.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण विभाग द्वारा कर दिया गया है के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

2.	02 / लोक(स्वा0)06 / 08	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला द्वारा निर्गत द्वितीय मेधासूची में से आवेदक मदन कुमार का नाम नहीं दिये जाने के संबंध में ।	23.02.2013	सचिव स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को नियुक्ति कर लिया गया है तथा वे काम कर रहें है। अतः उक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया।
3.	02 / लोक(स्वा0)07 / 08	श्रीमती हैदरी बेगम विधवा स्व0 सैयद हसन अख्तर, ग्राम–चाकुलिया मुस्लिम बस्ती हाट चला पो0 चाकुलिया जिला पूर्वी सिंहभूम को दिनांक 1.4.98 से 31.12.98 तक का वेतन की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	23.02.2013	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के स्व0 पति के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण के उपरान्त परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02 / लोक(स्वा0)09 / 07	हजारीबाग जिला में चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता की जांच हेतु श्री रामनुग्रह पाठक ग्राम पाठक बिगा पो0 बार हुसैनगंज थाना शेरघाटी गया बिहार का शिकायत ।	08.02.2013	परिवादी का परिवाद नियुक्ति एवं सेवा से हटाये जाने से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

सहकारिता विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(सहकारी)257 / 05	स्व0 लाल बिहारी शर्मा, सहायक को द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में उनकी विधवा श्रीमती शकुन्तला देवी धनबाद से प्राप्त परिवाद ।	08.02.2013	निबंधक, सहकारिता समिति धनबाद सर्किल, धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को उनके स्व0 पति के सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के फलस्वरूप परिवादीनी के परिवाद के निराकरण के पश्चात परिवाद बन्द कर दिया गया ।

नगर विकास विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(नगर विकास) 03 / 12	गिरिडीह नगर में भूमि माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन, तालाब एवं महामहीम राष्ट्रपति के जमीन को हड़प कर	08.02.2013	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण

		बेचने के संबंध में श्री प्रदीप शर्मा का शिकायत ।		हटाने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है । अतः परिवाद पर अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

कार्मिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कार्मिक)01/2012	मो0 अनवर हुसैन, लातेहार का अनुकंपा के अधार पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के रूप में बहाली के संबंध में ।	23.02.2013	आयुक्त पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुकंपा का आवेदन दो बार जिला अनुकंपा समिति के समक्ष रखा गया परन्तु गहन जांच के पश्चात समिति द्वारा रद्द कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।

शिकायत /परिवाद
फरवरी–2013

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं. 23/13	लोहरदगा जिलान्तर्गत बाघा पंचायत में मनरेगा योजना में अनियमितता व मजदूरों का पैसा भुगतान नहीं करने के संबंध में भैया सुरेन्द्र नाथ साह लोहरदगा का शिकायत ।	04.02.2013	यह शिकायत मनरेगा लोकपाल लातेहार जो लोहरदगा के प्रभार में भी है को हस्तान्तरित करते हुए इसे बन्द कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 40/2013	महगॉय पंचायत के प्रभारी मुखिया द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कूप निर्माण की मजदूरी व अभिश्रव की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री नरायण साव कोडरमा का शिकायत ।	04.02.2013	यह शिकायत मनरेगा से संबंधित है अतः मनरेगा लोकपाल धनबाद जो कोडरमा के भी प्रभार में है को हस्तान्तरित करते हुए शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 22/2013	अनियमितता एवं भ्रष्टाचारियों का पर्दाफास करने पर झूठा केस सं. 52/10 में फसाने के संबंध में भैया सुरेन्द्र नाथ साह लोहरदगा का शिकायत ।	08.02.2013	पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तथा वाद संबंधित न्यायालय में लम्बित है । उक्त के आलोक में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
4.	शिकायत सं. 836/12	विभागीय कार्रवाही संख्या 01/2005 में पारित आदेश को निरस्त करने एवं न्याय दिलाने के संबंध में श्री	08.02.2013	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है तथा परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः

		रामाशीष पाण्डेय का अनुरोध पत्र ।		माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज करते हुए बन्द कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं 38/2013	बिहार एम.एल.सी. श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा बिना नक्शा पास कराये ही मकान निर्माण करने हेतु जमीन अतिक्रमण करने के संबंध में श्रीमती जयश्री देवी, देवघर का शिकायत ।	08.02.2013	यह परिवाद दो लोगों का आपसी विवाद से संबंधित मामला है जो सक्षम न्यायालय में लम्बित है। अतः शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 37/13	थाना प्रभारी इटखोरी के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने तथा शिकायत लेने से इनकार करने के संबंध में श्री तुलसी यादव चतरा का शिकायत ।	19.02.2013	शिकायत दो लोगों का जमीन से संबंधित निजी मामला है जिसके लिए शिकायतकर्त्ता को अन्य कानूनी उपचार प्राप्त है। उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं.811/12	मजदूरी का भुगतान नहीं होने के संबंध में श्री परमानंद प्रसाद बोकारो का शिकायत ।	08.02.2013	शिकायतकर्त्ता के पक्ष में श्रम न्यायालय बोकारो द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने से संबंधित है। अतः परिवादी को इस मामले में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज करते हुए बन्द कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 782/12	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तृतीय अपील के संबंधमें श्री सत्येन्द्र सिंह बरही, हजारीबाग का शिकायत ।	08.02.2013	इस प्रकार के शिकायत का निराकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उपलब्ध है । अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 796/12	अवैद्य क्रशर चलाने के संबंध में सिर्मा देवगम, पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	19.02.2013	माननीय लोकायुक्त द्वारा विधि संवत कार्रवाई हेतु शिकायत पत्र को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को प्रेषित करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं.798/12	चतुर्थ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परीक्षा फल में विकलांग को आरक्षण का लाभ नहीं देने के सबंध में प्रदीप मुण्डा राँची का शिकायत ।	19.02.2013	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता । अतः परिवाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 41/2013	गढ़वा अंचल के राजस्व कर्मचारी अनिल सिंह द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन देने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं होने के संबंध में श्री मंगल मूर्ति तिवारी, गढ़वा का शिकायत ।	21.02.2013	परिवाद पोषणीय नहीं है तथा परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 833/2012	प्रधान लिपिक श्री बिन्देश्वर राम पासवान खनन कार्यालय कोडरमा,के विरूद्ध क्रेसर व्यवसायियों से अवैद्य वसूली के संबंध में श्री रामदेव यादव एवं अन्य झुमरी तिलैया का शिकायत ।	23.02.2013	शिकायत पत्र पर परिवादी के पता नहीं रहने तथा परिवाद पत्र के साथ शपथ पत्र तथा आवश्यक फीस नहीं रहने के कारण परिवाद पर विचार करना संभव नहीं है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं.408/12	जिला पशुपालन पदाधिकारी पाकुड़ द्वारा दुर्भावना से ग्रसित हो कर अतिंम वेतन प्रमाण पत्र में 31/8/2009 से जनवरी 2012 तक का मकान किराया कटौती करने के संबंध में श्री सुधीर कुमार गिरि का शिकायत पत्र ।	08.02.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।

14.	शिकायत सं. 695 / 12	श्री अशोक शर्मा, प्रशासनिक पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना राँची पर आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में श्री भोलेन्द्र पाण्डेय, सचिव, माध्यमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त शिकायत ।	08.02.2013	परिवाद पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लगाये गये आरोप तथ्यहीन एवं अस्पष्ट है तथा आरोप के समर्थन में किसी भी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 16 / 13	जमशेदपुर महिला महाविद्यालय छात्रावास में आधारभूत सुविधाओं के अभाव कें संबंध में ई–मेल से प्राप्त श्री मिलन कुमार का शिकायत ।	12.02.2013	शिकायत किसी लोक सेवक के विरूद्ध नहीं है । अतः लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत यह शिकायत पोषणीय नहीं है ।
16.	शिकायत सं0 34 / 13	श्री चन्द्रबली सिंह, सेवानिवृत क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता जिला मलेरिया कार्यालय पलामू का सेवान्त लाभ भुगतान नहीं करने के संबंध में ।	08.02.2013	परिवादी द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जा चूका है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं0 809 / 12	मानवाधिकार वाद सं. 524 / 34 / 4 / 07–08 / ओ0 सी0 के संबंध में श्री अरूण कुमार, कुमारधुबी, धनबाद का शिकायत ।	23.02.2013	परिवाद मानवाधिकार आयोग, दिल्ली में विचाराधीन है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
18.	शिकायत सं0 785 / 12	जन शिक्षण संस्थान जमशेदपुर झारखण्ड में व्याप्त विसंगति के संबंध में श्री विजय खाँ, अध्यक्ष, सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन, जमशेदपुर ।	08.02.2013	केन्द्र सरकार तथा उसके अधीन आने वाले पदाधिकारी झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के दायरे में नहीं आते है अतः शिकायत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत पत्र को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 652 / 12	बोकारो जिला अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक गोदाम में गोदाम प्रबंधक द्वारा मनमाने ढंग से कार्य संपादित करने के संबंध में श्री मंटुराम गुप्ता, बोकरो का शिकायत ।	21.02.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।